

संख्या : 1454

लोक सूचना

दिनांक :

28.6.23


मैसर्स साकेत मेडिक्योर एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि. जरिये निदेशक प्रवीण मंगलुनियो पुत्र श्री गोपीलाल मंगलुनिया निवासी- 83/29 सी, नीलगिरी मार्ग, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि की 90ए आदेश क्रमांक LU/2012/JDA/2019-20/101444 दिनांक 04.08.2022 को अन्य संस्थानिक प्रयोजन के लिए की गयी थी। जिसमें आवेदक द्वारा उक्त भूमि की 90ए निरस्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हैक्ट0 में।	स्वामित्व
तहसील सांगानेर जिला जयपुर	श्रीरामपुरा	203	0.32	मैसर्स साकेत मेडिक्योर एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि. जरिये निदेशक प्रवीण मंगलुनियो पुत्र श्री गोपीलाल मंगलुनिया निवासी- 83/29 सी, नीलगिरी मार्ग, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान.
		50/2	0.11	
		<b>कुल किता 02</b>	<b>कुल रकबा 0.43 हैक्ट0</b>	

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन नगरीय विकास एवं स्वायत्त आवासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.2(30)नविवि/3/2016-पार्ट 1516-30 जयपुर, दिनांक 25.04.2017 के बिन्दु संख्या 1 के सब बिन्दु (xvi) के अनुसार 90ए के आदेश LU/2012/JDA/2019-20/101444 दिनांक 04.08.2022 को पारित आदेश निरस्त किये जाने तथा उक्त आराजी की अभिधृति दिनांक 04.08.2022 पूर्व राजस्व रिकॉर्ड/जम्बन्दी में दर्ज अनुसार मैसर्स साकेत मेडिक्योर एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि. जरिये निदेशक प्रवीण मंगलुनियो पुत्र श्री गोपीलाल मंगलुनिया के नाम पुनः दर्ज करने पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 28.6.23 को जारी की गयी।

  
प्राधिकृत अधिकारी जोन-14  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुरा जयपुर।
- मैसर्स साकेत मेडिक्योर एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि. जरिये निदेशक प्रवीण मंगलुनियो पुत्र श्री गोपीलाल मंगलुनिया निवासी- 83/29 सी, नीलगिरी मार्ग, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान।
- रक्षित पत्रावली।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-14  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2023/डी- 1454


दिनांक 27.6.23

### आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना /जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री मंगलम कटेवा पुत्र श्री संजीव कटेवा	श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री हरि मोहन शर्मा	6/एच/II/एफ	371.50 व. मी.	जविप्रा	विद्याधर नगर	नाम हस्तान्तरण /फ्री होल्ड पट्टा	रजिस्टर्ड उपहार पत्र इत्यादि
2	श्री अशोक कुमार परोहित पुत्र श्री राधेश्याम पुरोहित	श्रीमती मणी देवी पत्नी श्री गणपत लाल दुसाद	ए-428	50.00 व.ग.	जविप्रा	विद्याधर नगर	नाम हस्तान्तरण /फ्री होल्ड पट्टा	मृत्यु प्रमाण-पत्र, अपंजीकृत वसीतनामा इत्यादि

प्रतिलिपि : जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

  
उपायुक्त, जोन-2

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004  
दूरभाष-{0141-2574768} (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फैक्स +91-141-2574555.



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

## सार्वजनिक सूचना

प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के तहत जोन-12 में निम्न आवेदक द्वारा नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवेदक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.रा.स. / निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	डी.एल. बिल्डर्स जारिये प्रोपराईटर श्री दुर्गा लाल जाट	श्री विजय प्रताप सिंह शक्तावत पुत्र श्री राधवेन्द्र सिंह शक्तावत	162	136.8 व. ग.	सिरसली गृ.नि. रा.स.	रामेश्वरम्	लीजडीड हेतु	रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर व सूची में नाम दर्ज करने हेतु
2.	डी.एल. बिल्डर्स जारिये प्रोपराईटर श्री दुर्गा लाल जाट	श्री विजय प्रताप सिंह शक्तावत पुत्र श्री राधवेन्द्र सिंह शक्तावत	163	144.4 व. ग.	सिरसली गृ.नि. रा.स.	रामेश्वरम्	लीजडीड हेतु	रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर व सूची में नाम दर्ज करने हेतु
3.	ए.जी. बिल्डकोम जारिये प्रोपराईटर श्री श्रवण चौधरी	श्रीमती निर्मला कवर पति श्री राधवेन्द्र सिंह शक्तावत	156	131.9 व. ग.	सिरसली गृ.नि. रा.स.	रामेश्वरम्	लीजडीड हेतु	रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर व सूची में नाम दर्ज करने हेतु
4.	जे.पी. कन्स्ट्रक्शन जारिये प्रोपराईटर जगदीश	श्रीमती निर्मला कवर पति श्री राधवेन्द्र सिंह शक्तावत	167	241.6 व. ग.	सिरसली गृ.नि. रा.स.	रामेश्वरम्	लीजडीड हेतु	रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर व सूची में नाम दर्ज करने हेतु
5.	जे.पी. कन्स्ट्रक्शन जारिये प्रोपराईटर जगदीश	श्रीमती निर्मला कवर पति श्री राधवेन्द्र सिंह शक्तावत	166	150.6 व. ग.	सिरसली गृ.नि. रा.स.	रामेश्वरम्	लीजडीड हेतु	रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर व सूची में नाम दर्ज करने हेतु
6.	श्री नागरमल नटवाडिया पुत्र श्री भूसाराम नटवाडिया	श्री नागरमल नटवाडिया पुत्र श्री भूसाराम नटवाडिया	जी/जीएफ/2	325.00 वर्गफीट	जविप्रा	मै. विनकास रियल एस्टेट प्रा. लि.	फ्री होल्ड पट्टा	दस्तावेज गुम हो जाने से एफ.आई. आर. व विज्ञापित के आधार पर

उपरोक्त का नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दिया जावेगा।

उपायुक्त जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

यू.ओ.नोट क्रमांक : जविप्रा/जोन-12/2023/डी- 8276

दिनांक 29-6-23

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004

दुरभाष - +91-141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटें. 8340 : फैक्स - +91-141-2574555



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


www.jda.urban.rajasthan.gov.in

## यू.ओ. नोट

**विषय:**— लोक सूचना का समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम सालगरामपुरा, तहसील सांगानेर के संलग्न खसरानुसार विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार कर राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने हेतु प्रेषित है।

संलग्न — 1

  
उपायुक्त जॉन-14  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक: एफ/ज.वि.प्रा./जोन-14/2023/डी-1459

दिनांक: 28.6.23

**कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14 जयपुर**  
**विकास प्राधिकरण, जयपुर**

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102637/D-

दिनांक:

**संशोधित लोक सूचना**

**मैसर्स विनायक वाटिका जरिये प्रोपराईटर श्री पंकज चतुर्वेदी पुत्र श्री सन्तोष कुमार**, निवासी- 123, मॉडल टाउन, जगतपुरा, मालवीय नगर, जयपुर, राज.,

**मैसर्स ए जे डी अफोर्डेबल हाउसिंग एल एल पी जरिये पार्टनर सलमान खान पुत्र श्री छोदु खान** निवासी - वार्ड न. 25, शीतला माता चाकसू जिला जयपुर, राज.

**श्री गिरिराज बैरवा पुत्र श्री शिव प्रसाद बैरवा**, निवासी-ग्राम मानपुर डूंगरी, पोस्ट शीतला माता, तहसील चाकसू, जिला जयपुर, राज.


ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	सालगरामपुरा, सांगानेर (जयपुर)	M/S VINAYAK VATIKA	259	5400	0.54
2	सालगरामपुरा, सांगानेर (जयपुर)	M/S VINAYAK VATIKA	536/390	1200	0.12
3	सालगरामपुरा, सांगानेर (जयपुर)	AJD AFFORDABLE HOUSING LLP	525/422	1900	0.19
4	सालगरामपुरा, सांगानेर (जयपुर)	AJD AFFORDABLE HOUSING LLP	523/422	5058	0.5058
5	सालगरामपुरा, सांगानेर (जयपुर)	GIRRAJ BAIRWA	375	2800	0.28
6	सालगरामपुरा, सांगानेर (जयपुर)	GIRRAJ BAIRWA	532/373	2100	0.21
7	सालगरामपुरा, सांगानेर (जयपुर)	GIRRAJ BAIRWA	534/376	1400	0.14
				<b>कुल</b>	<b>1.9858</b>

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **28.06.2023** को जारी की गयी।

  
**प्राधिकृत अधिकारी जोन-14 जयपुर**  
**विकास प्राधिकरण, जयपुर**



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
www.jda.urban.rajasthan.gov.in


क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी- 1289

दिनांक 28/6/2023


आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/ अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/	योजना का नाम	सेवा जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती. सरला सोनी पत्नी श्री कैलाश चन्द	श्री लल्लूलाल जाट पुत्र स्व. श्री गुलाबचन्द जाट	99 सी	80.07 व.ग.	बदनपुरा (फकीरों की डुंगरी गृ.स.स.)	सुन्दर विहार	फ्री होल्ड पट्टा	समिति आवंटन पत्र एवं अपंजीकृत इकरारनामा

  
उपायुक्त, जोन-7  
जविप्रा, जयपुर।

**प्रतिलिपि:-** जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

  
उपायुक्त, जोन-7  
जविप्रा, जयपुर।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-जविप्रा/उपा/जोन-11/उपा-11/2023/डी- 1 832

दिनांक 28/6/23

सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री अनिल पुत्र श्री श्यामसुन्दर, श्री निर्मल कुमार पुत्र श्री रामनिवास एवं श्री विमल कुमार पुत्र श्री रामनिवास जाति महाजन निवासी-डी-399, लाला बाडी, पारीक कॉलेज, बनीपार्क, जयपुर द्वारा ग्राम चिमनपुरा, सांगानेर, तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 214/277 रकबा 0.03 हैक्ट. ख. नं. 227/278 रकबा 0.07 हैक्ट. ख.नं. 228/1 रकबा 0.42 हैक्ट. ख.नं. 228/2 रकबा 0.30 हैक्ट. ख.नं. 229/1 रकबा 0.06 हैक्ट. ख.नं. 290/226 रकबा 0.01 हैक्ट. ख.नं. 291/226 रकबा 0.02 ख.नं. 293/213 रकबा 0.05 हैक्ट. ख.नं. 294/202 रकबा 0.07 हैक्ट. ख.नं. 297/213 रकबा 0.03 हैक्ट. ख.नं. 361/202 रकबा 0.07 हैक्ट. कुल किता 11 कुल रकबा 1.13 हैक्ट. भूमि 90ए शुदा निर्णय दिनांक 09.05.2023 की पर्यटन इकाई (होटल) प्रयोजन से पर्यटन इकाई (होटल हाउसिंग) प्रयोजनार्थ संशोधित 90ए किये जाने हेतु जोन कार्यालय में आवेदन किया गया है।

ग्राम चिमनपुरा, सांगानेर, तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 214/277 रकबा 0.03 हैक्ट. ख.नं. 227/278 रकबा 0.07 हैक्ट. ख.नं. 228/1 रकबा 0.42 हैक्ट. ख.नं. 228/2 रकबा 0.30 हैक्ट. ख.नं. 229/1 रकबा 0.06 हैक्ट. ख.नं. 290/226 रकबा 0.01 हैक्ट. ख.नं. 291/226 रकबा 0.02 ख.नं. 293/213 रकबा 0.05 हैक्ट. ख.नं. 294/202 रकबा 0.07 हैक्ट. ख.नं. 297/213 रकबा 0.03 हैक्ट. ख.नं. 361/202 रकबा 0.07 हैक्ट. कुल किता 11 कुल रकबा 1.13 हैक्ट. भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ दिनांक 09.05.2023 को 90ए का निर्णय श्री अनिल पुत्र श्री श्यामसुन्दर, श्री निर्मल कुमार पुत्र श्री रामनिवास एवं श्री विमल कुमार पुत्र श्री रामनिवास के पक्ष में जारी की गयी थी।

अतः उक्त भूमि का पर्यटन इकाई (होटल) प्रयोजन से पर्यटन इकाई (होटल हाउसिंग) प्रयोजनार्थ संशोधित 90ए जारी किये जाने के संबंध में संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में अपनी लिखित आपत्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रकरण में एकल पट्टा जारी किये जाने संबंधी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 28.6.23 को जारी की गयी।

(1)  
प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करावें।

(1)  
प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
ज.वि.प्रा., जयपुर

## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।

क्रमांक:-जविप्रा./उपा./पीआरएन-उत्तर(प्रथम)/2023/डी- 616

दिनांक:- 28/6/2023

-- आम सूचना :-

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटन का नाम	मूखण्ड संख्या	मूखण्ड क्षेत्रफल (व.ग.)	गू.नि.स.स.	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री जगदेव सिंह सांगा पुत्र श्री सतवंत सिंह एवं श्री वारिस सांगा पुत्र श्री जगदेव सिंह सांगा	मूखण्ड संख्या 74-बी जविप्रा द्वारा जारी लीजडीड श्री जगदेव सिंह पुत्र सतवंत सिंह सांगा, भू.स. 75 श्री आवड़दान पुत्र श्री बख्तावर दान, भू.स. 75-ए वारिस पुत्र श्री जगदेव सिंह	74-बी, 75 एवं 75-ए साउथ पार्ट	1992.67	शंकर भवन	विनायक एनक्लेव	फी-होल्ड पट्टे हेतु	जविप्रा द्वारा जारी लीजडीड, सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र, अपंजीकृत इकरारनामा एवं श्रृंखलाबद्ध दस्तावेजों के आधार पर।
2	श्री जगदेव सिंह सांगा पुत्र श्री सतवंत सिंह	मूखण्ड संख्या 76 जविप्रा द्वारा जारी लीजडीड श्री जगदेव सिंह पुत्र सतवंत सिंह सांगा, भू.स. 81-ए राजनदीप सांगा पुत्र श्री जगदेव सिंह, भू.स. 75-ए वारिस पुत्र श्री जगदेव सिंह एवं भू.स. 82 श्री सुखदेव कौर पुत्र श्री जगदीप सिंह	75ए नार्थ पार्ट, 76, 81-ए साउथ पार्ट एवं 82 साउथ पार्ट	1944.98	शंकर भवन	विनायक एनक्लेव	फी-होल्ड पट्टे हेतु	जविप्रा द्वारा जारी लीजडीड, सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र, अपंजीकृत इकरारनामा एवं श्रृंखलाबद्ध दस्तावेजों के आधार पर।
3	श्री जगदेव सिंह सांगा पुत्र श्री सतवंत सिंह	भू.स. 76-ए श्री हरमेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरनेक सिंह भू.स. 77 श्री गुरबच्चन सिंह पुत्र श्री हरदीप सिंह भू.स. 81-ए राजनदीप सांगा पुत्र श्री जगदेव सिंह, 82 श्री सुखदेव कौर पुत्र श्री जगदीप सिंह	76-ए, 77, 81-ए नॉर्थ पार्ट एवं 82 नार्थ पार्ट	2771.52	शंकर भवन	विनायक एनक्लेव	फी-होल्ड पट्टे हेतु	सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र, अपंजीकृत इकरारनामा एवं श्रृंखलाबद्ध दस्तावेजों के आधार पर।
4	श्री जगदेव सिंह सांगा पुत्र श्री सतवंत सिंह एवं श्री वारिस सांगा पुत्र श्री जगदेव सिंह सांगा	मूखण्ड संख्या 84-ए जविप्रा द्वारा जारी लीजडीड श्री वारिस सांगा पुत्र श्री जगदेव सिंह-सांगा-भू.स.-84-श्री-जगदीश-प्रसाद-शर्मा पुत्र श्री सुरजमान शर्मा, भू.स. 83 श्री बलजीत सिंह पुत्र श्री मुख्तयार सिंह, भू.स. 82-ए श्री जगतार सिंह गिल पुत्र श्री सुरजीत सिंह गिल	84-ए, 84-साउथ पार्ट, 83-साउथ पार्ट एवं 82-ए साउथ पार्ट	2393.08	शंकर भवन	विनायक एनक्लेव	फी-होल्ड पट्टे हेतु	जविप्रा द्वारा जारी लीजडीड, सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र, अपंजीकृत इकरारनामा एवं श्रृंखलाबद्ध दस्तावेजों के आधार पर।
5	श्री जगदेव सिंह सांगा पुत्र श्री सतवंत सिंह एवं श्री वारिस सांगा पुत्र श्री जगदेव सिंह सांगा	मूखण्ड संख्या 85 जविप्रा द्वारा जारी लीजडीड श्री वारिस सांगा पुत्र श्री जगदेव सिंह सांगा भू.स. 84 श्री जगदीश प्रसाद शर्मा पुत्र श्री सुरजमान शर्मा, भू.स. 83 श्री	85, 84-नॉर्थ पार्ट, 83 नार्थ	2373.66	शंकर भवन	विनायक एनक्लेव	फी-होल्ड पट्टे हेतु	जविप्रा द्वारा जारी लीजडीड, सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र,



		बलजीत सिंह पुत्र श्री मुख्तयार सिंह, भू. स. 82-ए श्री जगतार सिंह गिल पुत्र श्री सुरजीत सिंह गिल	पार्ट एवं 82-ए नार्थ पार्ट					अपंजीकृत इकरारनामा एवं श्रृंखलाबद्ध दस्तावेजों के आधार पर।
6	श्री जगदेव सिंह सांगा पुत्र श्री सतवंत सिंह	भू.सं. 74 श्रीमती नवदीप कौर पत्नी श्री गुरमुख सिंह गिल, भू.स. 74-ए श्रीमती नवरीत पत्नी श्री जगदीप सिंह	74 एवं 74-ए	2012.74	शंकर भवन	विनायक एनक्लेव	फी-होल्ड पट्टे हेतु	सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र, अपंजीकृत इकरारनामा एवं श्रृंखलाबद्ध दस्तावेजों के आधार पर।
7	श्री वारिस सांगा पुत्र श्री जगदेव सिंह सांगा	भूखण्ड संख्या 73-बी जविप्रा द्वारा जारी लीजडीड श्री रमा कान्त शर्मा पुत्र श्री बनवारी लाल शर्मा भू.सं. 73 श्री निर्मय गिल पुत्र श्री अजेब सिंह, भू.स. 73-ए श्रीमती रणजीत कौर पत्नी श्री सोहन सिंह	73, 73-ए एवं 73-बी	2979.81	शंकर भवन	विनायक एनक्लेव	फी-होल्ड पट्टे हेतु	जविप्रा द्वारा जारी लीजडीड, सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र, अपंजीकृत इकरारनामा एवं श्रृंखलाबद्ध दस्तावेजों के आधार पर।
8	श्रीमती मंजु देवी पत्नी श्री शिव कुमार	श्रीमती मंजुलता सिंघल पत्नी श्री शिव कुमार	03	328.47	विवेकानन्द	पश्चिम विहार विस्तार	फी-होल्ड पट्टे हेतु	जविप्रा द्वारा जारी लीजडीड के आधार पर।
9	श्री अशोक शर्मा पुत्र स्व. श्री रामराय शर्मा	श्रीमती विद्या देवी पत्नी श्री राम राय शर्मा	171	75	बुनियादी विकास	चन्द्र नगर-ए	फी-होल्ड पट्टे हेतु	जविप्रा द्वारा जारी लीजडीड, एवं रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र के आधार पर।
10	श्री धनन्जय कुमार शर्मा पुत्र श्री हीरालाल शर्मा	श्री धनन्जय कुमार शर्मा पुत्र श्री हीरालाल शर्मा	94	128	महाराणा प्रताप	श्री बालाजीधाम	फी-होल्ड पट्टे हेतु	सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र एवं श्रृंखलाबद्ध दस्तावेजों के आधार पर
11	श्रीमती सुनीता यादव पत्नी श्री शीशराम यादव	श्री पंकज सिंह जादौन पुत्र श्री पुत्र श्री शिरापाल सिंह	216	88.88	महाराणा प्रताप	श्री बालाजीधाम	फी-होल्ड पट्टे हेतु	सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर
12	श्रीमती सुनीता यादव पत्नी श्री शीशराम यादव	श्री मूलराज सिंह पुत्र श्री बजरंग सिंह	264	88.88	महाराणा प्रताप	श्री बालाजीधाम	फी-होल्ड पट्टे हेतु	सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर

जयपुर एवं प्राधिकृत अधिकारी  
जयपुर एवं उत्तर (कम)।  
जयपुर विकास प्रविधिकरण जयपुर

प्रतिलिपि :- जनसम्पर्क अधिकारी जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है की राज्य सरकार के आदेशो के क्रम मे विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाया जाना सुनिश्चित करें।

जयपुर एवं प्राधिकृत अधिकारी  
जयपुर एवं उत्तर (कम)  
जयपुर विकास प्रविधिकरण जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक / ज.वि.प्रा. / उपा. / जोन-4 / 2023 / डी- 1315

दिनांक 26-6-23

## विज्ञप्ति / सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	747/41	दुर्गापुरा	श्री रोशन लाल पुत्र स्व. श्री भौरी लाल	श्री भौरी लाल पुत्र श्री गोपी राम	पंचायत द्वारा जारी लीजडीड, अपंजीकृत वसीयतनाम एवं मृत्यु प्रमाण पत्र आदि।
2	521	महावीर नगर प्रथम	श्री मनीष शर्मा पुत्र श्री राम अवतार शर्मा	श्री राम अवतार शर्मा पुत्र स्व. श्री श्रीनिवास शर्मा	पंजीकृत हकत्याग पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र आदि।
3	757	महावीर नगर प्रथम	श्रीमती शीला पत्नी स्व. श्री जय नारायण कुम्हार	श्री जय नारायण पुत्र स्व. श्री दासू राम	पंजीकृत हकत्याग पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र आदि।
4	567	महावीर नगर प्रथम	श्रीमती अनसूया पत्नी स्व. श्री हिन्द कैसरी सिंह	श्री हिन्द कैसरी सिंह पुत्र स्व. श्री मंगल सिंह	पंजीकृत हकत्याग पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र आदि।

उपायुक्त जोन-4  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-4  
जविप्रा जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - 0141-2574798 : ईमेल - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240 ई-मेल : dc.zone04@jaipurjda.org

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


क्रमांक:जविप्रा/उपा./जोन-12/2023/डी- ९१ ९१

दिनांक २४-६-२०२३

जनसम्पर्क अधिकारी  
जविप्रा, जयपुर।

विषय :-90ए की लोक सूचना का प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में 90ए की लोक सूचना सलग्न प्रारूप अनुसार 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।



उपायुक्त जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2023/डी-1706

दिनांक 27/6/2023

## आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड/दुकान	भूखण्ड क्षेत्र (व०ग०)	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जवि प्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री रामफूल बैरवा पुत्र श्री रामकिशन बैरवा	स्वयं	159 बी	55.55	लूनियावास गृ.नि.स.स.	गोविन्द नगर	लीजडीड	सदस्य सूची में नाम अंकित नहीं होने से।
2.	श्रीमती शिमला पति श्री कन्हैया लाल सैनी	श्रीमती शिमला पिता श्री लक्ष्मी नारायण सैनी	बी-128	203.33	नागरिक गृ.नि.स.स.	न्यू सचिवालय विहार	लीजडीड	पिता के स्थान पर पति का नाम अंकित होने से।
3.	श्रीमती रश्मि टांक पति श्री मनीष टांक	श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री एन.एल. शर्मा	191	200.00	बंधु गृ.नि.स.स.	स्कीम नं. 27 सचिवालय विहार	लीजडीड	अपजीकृत इकरारनामा एवं कांट-छांट होने से।

उपायुक्त जोन-8  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

उपायुक्त जोन-8  
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - {+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {8310}: फैक्स - +91-141-2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:जविप्रा/उपा./जोन-12/2023/डी- 8257

दिनांक 27-6-2023

जनसम्पर्क अधिकारी  
जविप्रा, जयपुर।

विषय :-90ए की लोक सूचना का प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में 90ए की लोक सूचना सलरन प्रारूप अनुसार 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।



उपायुक्त जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : LU2012/JDA/2023-24/102628

दिनांक : 20/06/2023

## लोक सूचना

श्रीमती मधुबाला कोटावाला पत्नि श्री नन्दकुमार कोटावाला, मधुबाला कोटावाला पुत्री श्री सोहन लाल गर्ग (पत्नि श्री नन्दकुमार कोटावाला) निवासी प्लॉट नं. एल-3, कृष्णा मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर राज. ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का पर्यटन इकाई (रिसोर्ट) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हेक्ट.) में
1.	ग्राम नरसिंहपुरा तहसील सांगानेर	श्रीमती मधुबाला कोटावाला पत्नि श्री नन्दकुमार कोटावाला, मधुबाला कोटावाला पुत्री श्री सोहन लाल गर्ग (पत्नि श्री नन्दकुमार कोटावाला) निवासी प्लॉट नं. एल-3, कृष्णा मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर राज.	255	0.3300
			256	0.2800
			257	0.2800
			258	0.2700
			277	0.3500
			278	0.2465
			279	0.3600
			280	0.3200
			278 / 1	0.1135
				<b>कुल किता 9</b>

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 20-06-2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004  
दुरभाष - +91-141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटे: 8340 : फ़ैक्स-+91-141-2574555

e-mail:



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक— जविप्रा/उपा./जोन-12/23/डी-8252

दिनांक

26.6.23


सहायक निदेशक (जनसम्पर्क),

जविप्रा, जयपुर।

विषय:—90ए की लोक सूचना व सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण 90ए (सुओमोटो)/90बी/90ए की लोक सूचना व सार्वजनिक सूचना संलग्न-प्रारूप अनुसार लोक सूचना व सार्वजनिक सूचना 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन कराया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र में प्रति अधोहरताक्षरकर्ता कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार।

  
प्राधिकृत अधिकारी जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

## सार्वजनिक सूचना

प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के तहत जोन-12 में निम्न आवेदक द्वारा नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री व्यास चेतन पुत्र श्री गोपाल कृष्ण	श्री चन्द्रगुप्त चौपडा पुत्र श्री गोवर्धन चौपडा	53	113.14 व.ग.	सिरसली गृ.नि.स.स.	श्री श्याम विहार विस्तार	लीजडीड	रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर व सूची में नाम दर्ज करने हेतु

उपरोक्त का नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दिया जावेगा।

उपायुक्त जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

यू.ओ.नोट क्रमांक : जविप्रा/जोन-12/2023/डी- 8255

दिनांक 26-6-2023

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004

दुरभाष - +91-141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटें.: 8340 : फैक्स-+91-141-2574555





# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा/जोन-12/2023/डी- 8282

दिनांक 28-6-2023

## सार्वजनिक सूचना

इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित खातेदार केपिटल इन्फ्रा जरिये पार्टनर श्री गोपीकिशन जाजू पुत्र स्व. श्री शिवप्रताप जाजू निवासी 115, ए-9, जीडीआईटीएल, नोर्थक्स टॉवर नेताजी सुभाष पैलेस, दिल्ली द्वारा आवासीय ग्रुप हाउसिंग के स्थान पर सामान्य आवासीय हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हैक्टर)	स्वामित्व	वर्तमान स्वामित्व
तहसील आमेर जिला जयपुर	नीदंड	450/1	रकबा 1.17 हैक्ट. में से 0.01 हैक्ट.	केपिटल इन्फ्रा जरिये पार्टनर श्री गोपीकिशन जाजू पुत्र स्व. श्री शिवप्रताप जाजू निवासी 115, ए-9, जीडीआईटीएल, नोर्थक्स टॉवर नेताजी सुभाष पैलेस, दिल्ली	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
		516/2	0.09		
		517/2	0.03		
		518	0.28		
		519	रकबा 0.83 हैक्ट. में से 0.30 हैक्ट.		
		520	रकबा 0.58 हैक्ट. में से 0.03 हैक्ट.		
		527	रकबा 0.74 हैक्ट. में से 0.50 हैक्ट.		
		कुल किता 7	1.24 हैक्टर		

अतः उक्त भूमि का आवासीय ग्रुप हाउसिंग के स्थान पर सामान्य आवासीय योजना में अनुमोदन किये जाने के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था/हितधारक को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करावे अन्यथा नियत अवधि पश्चात नियमानुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 28-6-2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004  
दुरभाष - +91-141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटे.: 8340 : फैक्स-91-141-2574555

e-mail:



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

WWW.jda.urban.rajasthan.gov.in

दिनांक 26-06-2023

क्रमांक/ज.वि.प्रा/उपा./जोन-4/2023/डी-1319

## विज्ञप्ति

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	2321	मनोहरपुरा कच्ची बस्ती	श्री मदन लाल पुत्र श्री भौरी लाल	श्री बद्री पुत्र श्री भौरी लाल एवं श्रीमती गीता देवी	अपंजीकृत इकरारनामा, विद्युत बिल, राशन कार्ड, पहचान पत्र के आधार पर आवंटन/पट्टा चाहा है।
2.	618	मनोहरपुरा कच्ची बस्ती	श्री नानगराम पुत्र श्री बरदाराम	श्री रामचन्द्र पुत्र श्री प्रभात लाल	प्रार्थी द्वारा अपंजीकृत इकरारनामा एवं विद्युत बिल, राशन कार्ड के आधार पर आवंटन/पट्टा चाहा है।

प्रतिलिपि:-

- जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि नगरीय स विभाग के आदेश दिनांक: 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना काशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एते अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें।

80-  
उपायुक्त जोन-4  
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन-4  
जविप्रा, जयपुर।